न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की

न्यायाधीश ने कहा कि PIL का दुरुपयोग **सामाजिक न्याय के लिए एक साधन के रूप में इसकी प्रभावकारिता को कम** कर रहा है।

जनहित याचिका (PIL) के बारे में

- **परिभाषा: जनहित याचिका सामान्यतः** किसी तीसरे पक्ष से जुड़े मामलों के लिए दायर की जाती है। दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को लगता है कि सरकार, उद्योग आदि की किसी कार्रवाई/ गतिविधि या अन्य किसी कारण से पर्यावरण, लोक हित आदि को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जनहित याचिका दायर कर सकता/ सकती है, भले ही उस व्यक्ति/ संस्था को संबंधित कार्रवाई/ गतिविधि से कोई नुकसान हुआ हो या न हुआ हो।
- **मुख्य विशेषताएं**
  - इसे **सामाजिक जनहित याचिका** जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह विचार **अमेरिकी न्यायशास्त्र** से उधार लिया गया है।
  - PIL को **किसी भी कानून/ अधिनियम के द्वारा परिभाषित** नहीं किया गया है। यह **न्यायिक सक्रियता** के माध्यम से **अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति** है।
  - सुप्रीम कोर्ट में **अनुच्छेद 32** के तहत **PIL याचिकाओं को स्वीकार** किया जाता है, जबकि **हाई कोर्ट्स अनुच्छेद 226** के तहत PIL याचिकाओं को स्वीकार करते हैं।
- **उत्पत्ति:**
  - **'मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई 1976' मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने **पहली बार लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का विस्तार** किया था। इससे जनहित याचिका की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था।
    - **लोकस स्टैंडी** का अर्थ है, किसी अदालत में कानूनी कार्रवाई के लिए याचिका दायर करने या अदालत में पेश होने का अधिकार।
  - **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में देश की पहली जनहित याचिका** दायर की गई थी। यह याचिका **जेल की अमानवीय स्थिति** के बारे में एक एक्टिविस्ट वकील द्वारा दायर की गई थी।
  - **न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और वी. आर. कृष्णा अय्यर** PILs को स्वीकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीशों में से एक थे।
    - **न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती** को जनहित याचिका (PIL) को शुरू करवाने में उनके योगदान के कारण उन्हें भारत में **PIL का जनक** कहा जाता है।
- **सामाजिक न्याय का उपकरण:** PIL के माध्यम से कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए, जैसे- **ट्रिपल तलाक केस, महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश दिलाना, सहमति पर आधारित समलैंगिक संबंधों को वैध बनाया गया,** आदि।

PILs से संबंधित प्रमुख चिंताएं

- **विचित्र उद्देश्य और निहित स्वार्थ:** PILs की निजी हित याचिका और पब्लिसिटी हित याचिका के रूप में आलोचना की जाती है। कोर्ट के अनुसार PILs निजी हितों की पूर्ति करने और पब्लिसिटी का साधन बन गई हैं।
- **न्यायिक सक्रियता:** PILs कभी-कभी न्यायिक अतिक्रमण का कारण बनती हैं। इसके कारण कई बार अदालतें कार्यपालिका और विधानपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले नीतिगत मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगती हैं
- **न्यायपालिका पर बोझ:** तुच्छ उद्देश्यों वाली याचिकाएं न्यायपालिका का समय बर्बाद करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यू.एन.-वीमेन ने "विमेंस राइट्स इन रिव्यु 30 इयर्स आफ्टर बीजिंग" रिपोर्ट जारी की

वर्ष 1995 में 189 देशों (भारत सहित) ने 'बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA)' नामक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस दस्तावेज़ में **लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान** की गई थी। इस रिपोर्ट में BPfA के संदर्भ में हुई **वैश्विक प्रगति की समीक्षा** की गई है।

- BPfA को **महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे वैश्विक सम्मेलन** में अपनाया गया था।

रिपोर्ट में उजागर की गई महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **आर्थिक असमानता:** महिलाएं पुरुषों की तुलना में **20% कम** कमाती हैं तथा उन्हें **असुरक्षित प्रकृति की एवं अवैतनिक नौकरियों** में भी कार्य करना पड़ता है। महिलाओं के लिए चरम गरीबी को समाप्त करने में **137 साल** लगेंगे।
- **हिंसा और सुरक्षा: 3 में से 1 महिला** को शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। **53% महिलाएं** ऑनलाइन लैंगिक-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करती हैं। 2024 में 25% देशों ने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी।
- **राजनीतिक अपवर्जन:** विश्व में केवल **87 ऐसे देश हैं,** जिनका नेतृत्व **महिला राजनीतिज्ञों** द्वारा किया जा रहा है। **27% संसदीय सीटें एवं 36% स्थानीय निकायों की सीटें,** महिलाओं के पास हैं।
- **जलवायु संकट: 2050 तक, 236 मिलियन महिलाओं** को जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है।
- **लैंगिक रूप से उत्तरदायी नीतियां: 54% देश** लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए खर्च किये जा रहे वित्तीय संसाधनों को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा, केवल **26% देश सतत विकास लक्ष्य (SDG) संबंधी मानकों को पूरा** करते हैं।

आगे की राह: बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा

'यू.एन.-वीमेन बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा' लैंगिक समानता के लिए 6+1 ("+1" इन प्रयासों में युवा समावेशन पर जोर देता है) मुख्य कार्यवाही पर केंद्रित है:

- डिजिटल लैंगिक अंतराल को समाप्त करना;
- महिला केंद्रित सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना;
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना;
- महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना;
- शांति, सुरक्षा और मानवीय कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित करना; तथा
- जलवायु न्याय को बढ़ावा देना।

BPfA की प्रगति और उपलब्धियां

- **कानूनी सुधार:** लैंगिक समानता के लिए **1995 से अब तक 1,531 कानून** पारित किए गए हैं।
- **कार्यस्थल संबंधी अधिकार: नौकरियों में जेंडर आधारित भेदभाव** पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की संख्या **58 से बढ़कर 162** हो गई है।
- **राजनीति में महिलाएं:** 1995 से **संसदीय महिला प्रतिनिधित्व दोगुना** हो गया है।
- **महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना: 88% देशों ने लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ कानूनों को मजबूत** किया है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** वित्तीय और सामाजिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या **2010 से एक तिहाई बढ़** गई है।
- **वैश्विक पहलें: जनरेशन इक्वेलिटी फोरम (2021) और पैक्ट फॉर द फ्यूचर (2024)** जैसे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम लैंगिक समानता एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) के 25वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने ग्रासरूट इनोवेशन की भूमिका को रेखांकित किया

इस अवसर पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री** ने कहा कि **नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन** (NIF) के समर्थन से **25 से अधिक ग्रासरूट स्टार्ट-अप्स** और **सैकड़ों उद्यम** सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इनमें से **कुछ उद्यमों का वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से अधिक** है, जो ग्रासरूट इनोवेशन की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) के बारे में

- इसकी **स्थापना वर्ष 2000 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** (DST) के सहयोग से हुई थी।
- यह **ग्रासरूट इनोवेशन और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा** देता है।
- NIF का प्रमुख उद्देश्य नीतियों और संस्थानों के माध्यम से ग्रासरूट इनोवेटर्स को समर्थन देना है, जिससे एक क्रिएटिव और ज्ञान-आधारित समाज का निर्माण हो सके।

ग्रासरूट इनोवेशन क्या है?

- **परिभाषा: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** (UNDP) के अनुसार, ग्रासरूट इनोवेशन **नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा सीमित संसाधनों से विकसित किए गए स्थानीय समाधान** हैं। इनका उद्देश्य **स्थानीय समस्याओं का समाधान** करना होता है। कई बार ये इनोवेशन **सतत विकास में भी सहायक** होते हैं।
  - आदि-मानव भी ग्रासरूट इनोवेटर्स थे।
- **ग्रासरूट इनोवेशन की मुख्य विशेषताएं:**
  - **बॉटम-अप अप्रोच:** ये इनोवेशन **औपचारिक बाजारों से दूर, स्थानीय स्तर पर विकसित होते हैं।**
  - **सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित:** ये इनोवेशन **समुदाय की जरूरतों पर केंद्रित** होते हैं और **मुनाफे से अधिक सामाजिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देते हैं।**
  - ये सामाजिक अन्याय और पर्यावरण को नुकसान जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें प्रमुखता से नहीं उठाया जाता है।
  - **क्रिएटिव और समावेशी:** ग्रासरूट इनोवेटर्स **स्थानीय समुदायों के सहयोग से इनोवेशन को बढ़ावा** देते हैं और **स्थानीय ज्ञान साझा करने** पर जोर देते हैं।
  - **ग्रासरूट इनोवेशन के उदाहरण: हनी बी नेटवर्क** (भारत), **टेक्नोलॉजीज फॉर सोशल इंक्लूजन मूवमेंट** (लैटिन अमेरिका), आदि।

ग्रासरूट इनोवेशन को बढ़ावा देने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां

- मुख्य हितधारकों के साथ सहयोग की कमी देखी जाती है।
- संसाधन जुटाने में कठिनाई आती है।
- विकास करते हुए विस्तार करना कठिन होता है।
- इनोवेशन या स्टार्ट-अप समूह की प्रगति बनाए रखने और विकसित करने में गवर्नेंस और लर्निंग जैसी चुनौतियां आती रहती हैं।

ग्रासरूट इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम

- **राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन नीति** बनाने की आवश्यकता है।
- **सरकारी अनुदान बढ़ाना** चाहिए और **नियमों को सरल** बनाना चाहिए।
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** (ICT) उपलब्ध करानी चाहिए तथा **उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।**

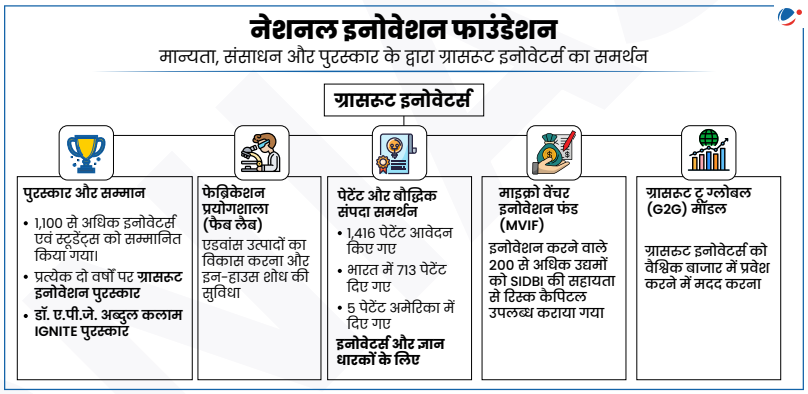

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की

इन पहलों को **इंडिया AI मिशन का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडिया AI मिशन** के तहत लॉन्च किया गया है।

लॉन्च की गई प्रमुख पहलें

- **AI कोष: इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म:** यह डेटासेट, AI मॉडल और AI सैंडबॉक्स क्षमताओं के साथ इनके उपयोग के मामलों की एक सुरक्षित रिपॉजिटरी है।
- **इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल:** यह सब्सिडी वाली AI कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाओं के साथ-साथ 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) भी उपलब्ध कराता है।
  - GPU एक **सर्किट** होता है, जो ग्राफिक्स और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए गणितीय गणना करता है।
- **AI कंपीटेंसी फ्रेमवर्क:** यह सार्वजनिक क्षेत्रक के अधिकारियों को AI संबंधी कौशल और क्षमता से लैस करता है।
- **सरकारी अधिकारियों के लिए iGOT-AI:** यह GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है।
- **अन्य पहलें:** इनमें **इंडिया AI स्टार्ट-अप्स ग्लोबल एक्सेलेरेशन प्रोग्राम, इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज और इंडिया AI फ्यूचरस्किल्स फेलोशिप** शामिल हैं।

इंडिया AI मिशन के बारे में

- **शुरुआत:** इसे मार्च 2024 में 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य: सार्वजनिक-निजी भागीदारी** और एडवांस्ड AI अवसंरचना के माध्यम से AI संबंधी नवाचार को बढ़ावा देना।
  - **इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा-**
    - कंप्यूटिंग एक्सेस के लोकतंत्रीकरण द्वारा,
    - स्टार्ट-अप्स के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करके,
    - सामाजिक रूप से प्रभावी AI परियोजनाओं को सुनिश्चित करके,
    - एथिकल AI को बढ़ावा देकर आदि।
- **मंत्रालय:** यह MeitY का अम्ब्रेला प्रोग्राम है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग **"इंडिया AI".**

भारत के प्रमुख AI मॉडल्स और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी

- **भारतजेन:** यह सरकार द्वारा वित्त-पोषित पहला मल्टी-मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है।
- **डिजिटल इंडिया भाषिणी:** यह AI-संचालित भाषा अनुवाद मंच है।
- **सर्वम-1 AI मॉडल:** इसे भाषा अनुवाद, टेक्स्ट संक्षेपण और कंटेंट जनरेशन जैसे उपयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **चित्रलेखा:** यह उपयोगकर्ताओं को विविध भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांस्क्रिप्ट बनाने और एडिट करने की सुविधा देता है।
- **हनुमान एवरेस्ट 1.0:** यह बहुभाषी AI प्रणाली है, जो 35 भारतीय भाषाओं में काम कर सकती है।

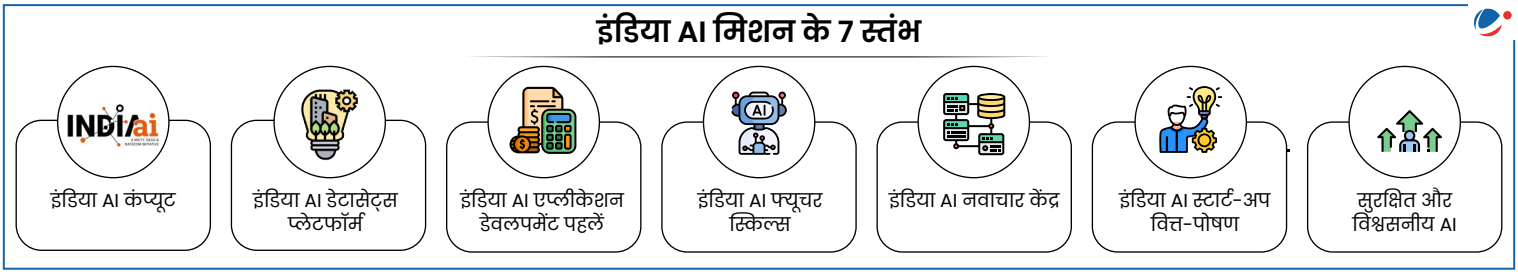

असम ने वैधानिक स्वायत्त परिषदों से जुड़े कानून में संशोधन किया

असम विधान सभा ने एक विधेयक पारित किया है। इसमें उपबंध किया गया है कि यदि किसी वैधानिक स्वायत्त परिषद ने **विस्तारित तय समय पर भी चुनाव आयोजित नहीं किए, तो राज्यपाल संबंधित वैधानिक परिषद का नियंत्रण अपने हाथों** में ले सकता है।

- इस उपबंध का प्रभाव **मिसिंग, थेंगल कचारी, देवरी, सोनोवाल कचारी, राभा हसोंग और तिवा** स्वायत्त परिषदों पर पड़ेगा।
- संशोधन में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी **स्वायत्त परिषद** का कार्यकाल पूरा हो जाता है और **चुनाव समय पर नहीं हो पाते, तो सरकार एक साल तक (दो बार छह-छह महीने के लिए) विस्तार** दे सकती है। यदि इस **एक साल के अंदर भी चुनाव नहीं होते, तो राज्यपाल उस स्वायत्त परिषद का नियंत्रण** अपने हाथ में ले सकता है।

जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

- **वैधानिक स्वायत्त परिषदें**
  - स्वायत्त परिषदों का गठन राज्य विधान-मंडल द्वारा निर्मित **अधिनियमों के माध्यम से राज्यों** द्वारा किया जाता है।
    - वर्तमान में **मणिपुर में भी 6 स्वायत्त परिषदें** हैं।
  - **उद्देश्य:** जनजातीय समुदायों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, नृजातीय और सांस्कृतिक विकास करना।
  - **असम की स्वायत्त परिषद के अधिकार:** इनका **34 विषयों (जैसे- कुटीर उद्योग, भूमि, शिक्षा आदि)** पर कार्यकारी नियंत्रण है।
- **संवैधानिक स्वायत्त परिषदें**
  - **संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244)** के तहत **असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs)** स्थापित की गई हैं।
    - यदि किसी स्वायत्त जिले में एक से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, तो राज्यपाल नया स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर सकता है और संबंधित स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद का गठन कर सकता है।
    - **वर्तमान में असम में तीन स्वायत्त जिला परिषदें हैं:**
      - » बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद,
      - » दीमा हसाओ, और
      - » कार्बी आंगलोंग।
  - **संरचना: अधिकतम 30** सदस्य होते हैं। इनमें से **4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत** होते हैं तथा शेष **निर्वाचित** होते हैं।
    - **अपवाद: बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में 46 सदस्य** हो सकते हैं।
  - **कार्यकाल:** 5 वर्ष।
  - **शक्तियां:** इनके पास **विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय** शक्तियां होती हैं।
  - **राज्यपाल की शक्तियां:** राज्यपाल नए स्वायत्त जिलों का गठन कर सकता है तथा उनमें संशोधन कर सकता है।
  - कुल स्वायत्त जिला परिषदों की संख्या: चार राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा) में कुल **10 संवैधानिक स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs)** हैं।

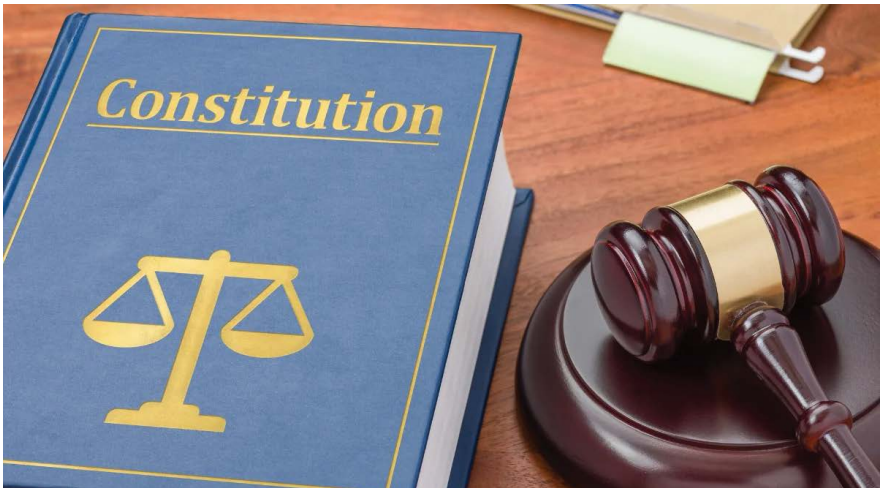

अन्य सुर्ख़ियां

मल्टी-प्रिंसिपल एलीमेंट एलॉय (MPEA)

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने **फटीग-रेसिस्टेंट (Fatigue-Resistant) मल्टी-प्रिंसिपल एलीमेंट एलॉय (MPEA)** विकसित किया है।

- इस खोज ने उस पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है कि **उच्च-बल (Strength) से फटीग-लाइफ (Fatigue Life) पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है।
- इस शोध को **"अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन"** से मदद मिली है।

मल्टी-प्रिंसिपल एलीमेंट एलॉय (MPEA) के बारे में

- इसे **"कम्पोजिशनली काम्प्लेक्स एलॉय (CCAs)"** भी कहा जा रहा है।
- यह **पारंपरिक मिश्र-धातुओं (Alloys) से अलग** होता है, क्योंकि इसमें केवल **एक या दो तत्वों की बजाय कई प्रमुख तत्व** शामिल होते हैं।
- **मुख्य विशेषताएं:** उच्च बल, बेहतर संक्षारण प्रतिरोधी (Enhanced Corrosion Resistance), अत्यधिक तापीय स्थिरता आदि।
- पारंपरिक रूप से माना जाता है कि **बल बढ़ाने से फटीग लाइफ कम** होती है।
  - **मैटेरियल साइंस** में फटीग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें चक्रीय भार (Cyclic Loading) के कारण किसी पदार्थ में दरारें (Cracks) उत्पन्न होती हैं। **फटीग लाइफ** किसी सामग्री द्वारा दोहराए जाने वाले तनावों (Repeated Loading) के तहत विफल होने से पहले सहन किए गए कुल तनाव चक्रों (Stress Cycles) की संख्या को दर्शाती है।
- **हालांकि IISc के शोध से पता चलता है कि निम्नलिखित उपायों से फटीग प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है:**
  - फाइनर डिस्लोकेशन संरचनाओं द्वारा;
  - ग्रेन साइज को कम करके उच्चतर बैक स्ट्रेस उत्पन्न करके आदि।

फ़ॉकलैंड द्वीप समूह

इंडियन नेवल सेलिंग वेसेल (INSV) तारिणी ने **नाविका सागर परिक्रमा II अभियान के तहत फ़ॉकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली** में प्रवेश किया।

- इस अभियान का नेतृत्व **दो महिला अधिकारी** कर रही हैं। यह अभियान **महिला सशक्तीकरण और मेरीटाइम एक्सीलेंस** के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

फ़ॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में

- **राजधानी: स्टेनली।**
- **अवस्थिति:** यह **दक्षिण अटलांटिक** में एक सुदूर द्वीप समूह है। यह **अर्जेंटीना** के पूर्व में स्थित है।
- **राजनीतिक स्थिति:** यह स्वशासन वाला **ब्रिटिश-ओवरसीज क्षेत्र** है। इसके **रक्षा और विदेश मामले यूनाइटेड किंगडम** सरकार देखती है।
- इस द्वीप समूह पर **अर्जेंटीना** भी अपना दावा करता रहा है। अर्जेंटीना इसे **इस्लास माल्विनास (Islas Malvinas)** कहता है। इस द्वीप पर अधिकार को लेकर **1982 में फ़ॉकलैंड युद्ध** हुआ था।
- **अर्थव्यवस्था:** इसके विशाल महाद्वीपीय शेल्फ के कारण **मात्स्यिकी** मुख्य आर्थिक गतिविधि है। यहां के जल क्षेत्र में **समुद्री ट्राउट और स्क्विड प्रजातियां** बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं।

C-DOT का त्रिनेत्र

केरल ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस हेतु 'एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर' (SOC) लॉन्च किया है।

- यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के 'त्रिनेत्र' (TRINETRA) प्लेटफॉर्म पर आधारित है।
- C-DOT संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।

C-DOT के त्रिनेत्र के बारे में

- यह AI-आधारित, स्वदेशी और एकीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की साइबर सुरक्षा करने के लिए विकसित किया गया है।
- यह एंडपॉइंट्स, नेटवर्क ट्रैफिक और यूजर बिहेवियर की निगरानी करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह सुभेद्यताओं की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने और साइबर खतरों को कम करने में भी सहायक है।

बंगस घाटी

जम्मू और कश्मीर सरकार नियंत्रण रेखा (LoC) के करीब स्थित बंगस घाटी को एक इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दे रही है।

बंगस घाटी के बारे में

- यह जगह कश्मीर के ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है।
- इस घाटी में अलग-अलग प्रकार के बायोम हैं। यहां पर्वत बायोम, घास के मैदान का बायोम और टैगा या शंकुधारी वन (स्थानीय भाषा में बुडलू) बायोम हैं।
  - हरे-भरे घास के मैदान इस घाटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- मुख्य घाटी को बोध बंगस या "बड़ी बंगस घाटी" कहा जाता है, जो एक रैखिक अंडाकार कटोरे के आकार की है। इसके साथ एक छोटी घाटी भी है, जिसे लाकुत बंगस कहा जाता है।

MSMEs के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए डिजिटल फुटप्रिंट-आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया

- केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक (PSBs) MSMEs को ऋण देने से पहले उनके ऋण भुगतान की क्षमता का आकलन अपने स्तर से करेंगे। इसके लिए उन्हें किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
- इस डिजिटल असेसमेंट मॉडल में निम्नलिखित डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग किया जाएगा:
  - NSDL के जरिए नाम और पैन सत्यापन;
  - OTP के जरिए मोबाइल और ईमेल सत्यापन;
  - सेवा प्रदाता की मदद से API से GST डेटा प्राप्त करना; तथा
  - बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण।
- यह मॉडल MSMEs को ऋण देने की मंजूरी प्रक्रिया को स्वचालित बना देगा। इससे लघु और मध्यम उद्यमों को तेजी से एवं पारदर्शी तरीके से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

नीपर नदी

यूक्रेन का दावा है कि रूस नीपर नदी (Dnieper River) पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए "आत्मघाती मिशन" शुरू कर रहा है।

नीपर नदी के बारे में

- यह नदी यूक्रेन को दो भागों में विभाजित करती है। इस तरह इस नदी के दाएं और बाएं-किनारों पर यूक्रेन के क्षेत्र स्थित हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव इसी नदी के तट पर स्थित है।
- यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है।
  - यूरोप की तीन सबसे लंबी नदियां वोल्गा, डेन्यूब और यूराल हैं।
- उद्गम: यह नदी रूस की वल्दाई हिल्स (मास्को से लगभग 150 मील पश्चिम) से उत्पन्न होती है।
- यह नदी रूस, बेलारूस और यूक्रेन से बहती हुई काला सागर (Black Sea) में मिल जाती है।

गोल्डन डोम

संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

गोल्डन डोम के बारे में

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों तथा अन्य उन्नत हवाई हमलों के खतरों से अमेरिका की रक्षा करना है।
- इसका निर्माण इजरायल की 'आयरन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर किया जा रहा है।
  - आयरन डोम एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली का विकास कम दूरी के खतरों से बचने के लिए किया गया है।

क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन

लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) से हटने की घोषणा की।

क्लस्टर म्यूनिशंस क्या हैं?

- क्लस्टर म्यूनिशंस ऐसे हथियार होते हैं, जो हवा में विस्फोट होने के बाद सब-म्यूनिशंस या छोटे-छोटे विस्फोटक बमों में खंडित होकर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।

क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) के बारे में

- CCM एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि क्लस्टर म्यूनिशंस/ हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
  - इसे क्लस्टर म्यूनिशंस पर ओस्लो घोषणा-पत्र (2007) के तहत अपनाया गया था।
  - यह कन्वेंशन 2008 में अपनाया गया था और 2010 में लागू किया गया था।
- वैधानिक स्थिति: यह अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- भारत की स्थिति:
  - भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
  - रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई बड़े देश भी इस संधि में शामिल नहीं हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

बारबाडोस (राजधानी: ब्रिजटाउन)

भारतीय प्रधान मंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व के सम्मान में 'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बारबाडोस के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति:
  - बारबाडोस कैरेबियन सागर के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वेनेजुएला के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- भौगोलिक विशेषताएं:
  - यह नजदीक के लेसर एंटीलिज द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। हालांकि, इसे आमतौर पर उसी समूह में शामिल किया जाता है।
    - लेसर एंटीलिज कैरेबियन सागर में स्थित लघु द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है, जो वर्जिन आइलैंड्स से लेकर ग्रेनेडा तक उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हुई है।
  - सबसे ऊँचा स्थान: माउंट हिलबी।